भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 176

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अर्बन चैलेंज फंड का कार्यान्वयन

***176. श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः**

श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अर्बन चैलेंज फंड के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विशेषकर गुजरात के दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इसके अंतर्गत परियोजना चयन की रूपरेखा, वित्तपोषण पद्धति और की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस निधि के अंतर्गत शहरों और परियोजनाओं के चयन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरों के पुनर्विकास, जल और स्वच्छता अवसंरचना और शहरी गतिशीलता सहित इस निधि के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रों का विशेष रूप से गुजरात के दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र, राज्यों और अन्य हितधारकों के अंशदान सहित नियोजित वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अर्बन चैलेंज फंड का कार्यान्वयन" के विषय में 30 जुलाई, 2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 176 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) योजना को 15 अप्रैल, 2026 को यूसीएफ के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी करने के साथ शुरू किया गया। अब तक, 33 परियोजनाओं को अनुमोदन/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए गुजरात राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यूसीएफ मिशन अवधि के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत, केंद्रीय सहायता बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत के **25** प्रतिशत तक सीमित है, इस शर्त के साथ कि परियोजना लागत का कम से कम **50** प्रतिशत बाजार आधारित स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें नगरपालिका बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) शामिल हैं। शेष परियोजना लागत को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पूरा किया जाएगा।

सभी शहर यूसीएफ के तहत भाग लेने के पात्र हैं। प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अध्याय 7 में परियोजना मूल्यांकन और चैलेंज फ्रेमवर्क के बारे में विवरण शामिल हैं, जिसमें अनिवार्य पात्रता आवश्यकताएं, समग्र परियोजना प्रवाह/कार्यान्वयन फ्रेमवर्क और परियोजनाओं के मूल्यांकन और चयन के लिए परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल है। यूसीएफ के तहत स्वीकार्य परियोजनाओं की सूची प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अध्याय 5 के तहत दी गई है। योजना के दिशानिर्देश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें

https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2026/04/7950afb9b2d5cb773ba3d6c64bde9726.pdf पर देखा जा सकता है।

यूसीएफ तीन घटकों अर्थात् 'विकास केंद्र के रूप में शहर', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल और स्वच्छता' के तहत परिवर्तनकारी और प्रभावशाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सुदृढ़ीकरण में सहायता करता है।

"अर्बन चैलेंज फंड का कार्यान्वयन" के विषय में 30 जुलाई, 2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 176 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

<u>यूसीएफ के तहत अनुमोदित/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या</u>

क्रम संख्या	राज्य	अनुमोदित/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान की गई परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	4
2	गुजरात	6
3	कर्नाटक	3
4	मध्य प्रदेश	6
5	महाराष्ट्र	3
6	मेघालय	1
7	ओडिशा	7
8	तेलंगाना	3
कुल		33
